

बिहार सरकार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

द्वितीय तल, पंत भवन, पटना-800001

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

दिनांक- 08-01-2016

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल, पंत भवन, पटना-800001 द्वारा 1934 के भूकम्प के अनुभवों के अभिलेखन (Documentation) कार्यक्रम के जागरूकता से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए Documentary Film निबंधित संस्था, आयकर से निबंधित कोटेशनदाता से निम्नांकित कार्यक्रमों के लिए निहित शर्तों के अंतर्गत मुहरबंद लिफाफे में **दर निर्धारण हेतु** कोटेशन आमंत्रित किया जाता है :-

कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधि
1934 भूकम्प से संबंधित Documentary Film	1934 भूकम्प से प्रभावित जिला-समस्तीपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना एवं मुजफ्फरपुर के Survivors का साक्षात्कार शूटिंग के रूप में लेना, लिये गये शूटिंग का Edit (offline & Online) Sound Designing (Level wise) Sound Mixing, एवं C.G Work.

शर्त :-

- 1) कोटेशनदाता/व्यक्ति को इस प्रकार के पूर्व में इस तरह के कार्यक्रम करने का अनुभव होना आवश्यक होगा एवं एतद संबंधी प्रमाण-पत्र के साथ-साथ कार्यक्रम में विगत दो वर्ष में किये गये इमेन्ड्स का फोटोग्राफ संलग्न करना होगा।
- 2) कोटेशनदाता को उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जिलों में किये गये गतिविधियों का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा।
- 3) जिन संस्था को सरकार द्वारा सेवाकर में छूट मिली हुई हो वे एतद संबंधी प्रमाण-पत्र कोटेशन के साथ संलग्न करेंगे अन्यथा सरकार द्वारा निर्धारित सेवाकर की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
- 4) कोटेशन प्राप्ति की अंतिम तिथि-18.1.2016 (समय 05.00 बजे अपराहन तक) है। निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के बाद कोई कोटेशन स्वीकार नहीं की जायगी।
- 5) सभी कोटेशन दिनांक-19.1.2016 को प्राधिकरण के कार्यालय में 03.00 बजे अप0 में क्रय समिति के समक्ष खोली जायगी। कोटेशनदाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।
- 6) किसी प्रकार की जानकारी हेतु प्राधिकरण के परियोजना पदाधिकारी, श्री विशाल वासवानी से सम्पर्क किया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा इन कार्यों के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जायेगा।
- 7) कोटेशन आंशिक या पूर्ण बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निहित होगा।
- 8) सभी कार्य यथा निदेशित उत्तम तरीके से करना होगा अन्यथा भुगतान से इसकी पूर्ण अथवा आंशिक कटौती की जायेगी।

अवर सचिव